Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rule and Order)

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 13-AJMER Parliamentary constituency In Rajasthan.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Ruls, 1961, I declare that

SHRI BHAGIRATH CHAUDHARY CHOYAL HOUSE, PANI KI TANKI KE PASS, SHANTI NAGAR MADANGANJ-KISHANGARH,

DISTT. AJMER

Sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - AJMER Date - 23.05.2019

(Vishwa Mohan Sharma)

Renunius/Qifwerma; 13- Ajmer Parlisimengsty/Constituency

(District Coffector and District Magistrate, Ajmer)



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
प्ररूप-21 ग
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

राजस्थान (राज्य) के 13-अजमेर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री भागीरथ चौधरी, चोयल हाउस, पानी की टंकी के पास शांतिनगर मदनगंज—किशनगढ जि. अजमेर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- अजमेर तारीख :- 23.05.2019



्रिड्डिक्ट्रिक्ट्